

3.8.23

पत्रावली पेश हुई, उभयपक्ष उपस्थित, वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्पण में स्वयं प्रार्थी के आधार कार्ड, राशनकार्ड, अंकतालिका, मतदाता पहचान पत्र, एच पीएन कार्ड आदि की फोटो प्रति, जमावदी की नकल सन्वत् 2014-2017 की नकल प्रस्तुत की। प्रार्थी ने नदस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों वस्तुतः के आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया।

मिस्टर उभयपक्ष
समस्त पक्षी पत्र

उपस्थित अधिकारी
मंडल जिला मीलपाड़ा



जाने की इच्छा की।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया, तथा उमयपत्नी की लहस पर मनन किया, विवादित आराजियात ग्राम माण्डल परवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल में स्थित होकर बबलू पिता अम्बालाल माली साखिन डेट के नाम दर्ज रेकार्ड है जिसकी तारीख प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमावेंदी की नकल सम्वत 2014-2017 से होती है। प्रार्थी ने अपना नाम बबलू न होकर सत्यनारायण होना अंकित किया है। जिसकी तारीख परिवार का राशन कार्ड, आधार कार्ड, अंकतालिका, पछान पत्र, पेन कार्ड, की फोटो प्रार्थी से होती है। जिसमें प्रार्थी का नाम सत्यनारायण पिता अम्बालाल माली है, उसी अनुसार प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में भी बबलू व/0 अम्बालाल माली के बजाय सत्यनारायण व/0 श्री अम्बालाल माली दर्ज कराना चाहता है, इस बाबत तहसीलदार माण्डल व परवारी हल्का में भी बबलू के बजाय सत्यनारायण किये जाने में न्याय संभल जाताया गया।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझता हूँ, अतः

∴ आदेश ∴

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 R-TA. तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम माण्डल परवार हल्का माण्डल तहसील माण्डल में स्थित शवाता सं. 198 में आराजी नं. 4590 रकबा 0.1138 हेक्टेयर एवं शवाता सं. 163 में आराजी नं. 3214 रकबा 2.7822 हेक्टेयर भूमि में अंकित राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम बबलू पिता अम्बालाल माली के बजाय सत्यनारायण पिता अम्बालाल माली राजस्व रिकार्ड में अंकित किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार माण्डल उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करे। निर्णय की प्रति तहसीलदार माण्डल को भिजवाते हुए निरवा जावे। पत्रावली फिलज कुमार होकर भेजकर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा